



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांक:आर0एम0पी0यू0 / 1861/2024

दिनांक: 07, सितम्बर, 2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय

अलीगढ़।

विषय: राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी एसोसिएशन संघ एवं राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्था के प्रतिनिधियों की मांगों पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 13.12.2023 में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक शासन के अनुस्मारक-11/महत्पूर्ण/समयबद्ध एवं पत्र संख्या-2162/सत्तर-3-2024 दिनांक 03 सितम्बर, 2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के क्रम में प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

ABJ
07/09/24

(अजय कृष्ण यादव)

कुलसचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, उ0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ।
2. निजी सचिव, मा0 कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. प्रभारी वेबसाइट को वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लागइन आई0 पर पर अपलोड करने हेतु प्रेषित
4. गार्ड फाइल।

ABJ
07.09.24
उप कुलसचिव

प्रेषक,

एस0पी0मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 03 सितम्बर, 2024

विषय : राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी एसोसिएशन संघ एवं राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्था के प्रतिनिधियों की मांगों पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 13.12.2023 में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-637/65-3-2024, दिनांक 29.07.2024 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कार्यवृत्त संख्या-565/65-3099/96/2023, दिनांक 13.12.2023 पर विभाग से संबंधित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2- अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-3486/सत्तर-3-2023, दिनांक 29.12.2023 एवं पत्र संख्या-711/सत्तर-3-2024, दिनांक 10.04.2024 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है परन्तु अनुपालन आख्या अभी तक अप्राप्त है।

3- अतः विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-637/65-3-2024, दिनांक 29.07.2024 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यवृत्त संख्या-565/65-3099/96/2023, दिनांक 13.12.2023 पर विभाग से संबंधित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या शासन को 02 कार्यदिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0मिश्र)
उप सचिव।

संख्या 2162 / 2024

उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3
संख्या- 637 /65-3-2024
लखनऊ, दिनांक 29 जुलाई, 2024

9296 / 2024 PSHEIX2024

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(प्रशासनिक सुधार विभाग, समन्वय अनुभाग, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण अभिव्यक्ति विभाग, राजनैतिक पेशन विभाग, रेशम विकास विभाग, खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग, राज्य कर विभाग, युवा कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, होमगार्ड्स विभाग एवं विधायी विभाग को छोड़कर)

राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, दृष्टि दिव्यांग कर्मचारी एसोसिएशन संघ एवं राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्था के प्रतिनिधियों की मांगों पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2023 को सम्पन्न बैठक के क्रम में दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त संख्या-565/65-3099/96/2023, दिनांक 13.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त कार्यवृत्त के संबंध में अपने-अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

2. उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के पत्र संख्या-236/65-3-2024, दिनांक 28.03.2024, पत्र संख्या-382/65-3-2024, दिनांक 06.05.2024, पत्र संख्या-428/65-3-2024, दिनांक 21.05.2024 एवं पत्र संख्या-565/65-3-2024, दिनांक 05.07.2024 द्वारा अनुस्मरण भी कराया जा चुका है, किन्तु प्रकरण में अनुपालन आख्या अद्यतन अप्राप्त है।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त कार्यवृत्त के संबंध में अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 2. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।

विशेष सचिव

2/10/24
निधी सचिव,
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

22811/SC(553)/24
503

2-8-24
(सहायक)
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

21/07/24